(2) किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और सरंक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत संस्थान

(i) सम्प्रेषण गृह एवं विशेष गृह, ऊना

Observation-cum-Special Home, Una

उददेश्य विधि के उल्लंघन करने वाले किशोरों को निःशुल्क रहने–सहने, शिक्षा, स्वास्थ्य एवम पुर्नवास इत्यादि सुविधायें प्रदान करके उन्हें आत्म–निर्भर बनाना।

प्रवेश हेतु प्रकिया 18 वर्ष की आयु से कम के बच्चे जो विधि के उल्लंघन करते हुये पुलिस द्वारा पाये जाते है उन्हे पुलिस द्वारा जिला स्तर पर न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में गठित किशोर न्याय बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तथा बोर्ड के आदेश पारित किए जाने पर सम्प्रेषण गृह में प्रवेश दिया जाता है।

किशोर न्याय बोर्ड (1) जिला कुल्लू (आनी उपमण्डल के इलावा) के लिये मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुल्लू की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड कुल्लू।

(2) जिला किन्नौर, जिला शिमला के रामपुर उपमण्डल, जिला लाहौल–स्पिति के स्पिति उपमण्डल तथा जिला कुल्लू के आनी उपमण्डल के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, रामपुर बुशैहर।

(3) जिला मण्डी के लिये अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट न0–1) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड,मण्डी।

(4) जिला कांगडा के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट न0–1 धर्मशाला) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, कांगडा।

(5) जिला सोलन के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, सोलन।

(6) जिला बिलासपुर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, बिलासपुर।

(7) जिला सिरमौर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, सिरमौर।

(8) जिला हमीरपुर के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (कोर्ट न0–1) की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, हमीरपुर।

(9) जिला चम्बा के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, चम्बा।

(10) जिला शिमला के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, शिमला।

(11) जिला ऊना के लिये न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अध्यक्षता में किशोर न्याय बोर्ड, ऊना ।

(ii) बाल गृह, सुन्दरनगर

Children Home, Sundernagar

उद्देश्य किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देख रेख और सरंक्षण), 2000 के अन्तर्गत ऐसे बच्चे जो बिना किसी घर के पाये जाते है, गलियों में पाये जाने वाले बच्चे या जिस व्यक्ति के साथ रहते है, के द्वारा उन्हे मारने या क्षति या मारने की धमकी दी है या भीख मांगते पाये जाने वाले बच्चे या ऐसे बच्चे जिनके साथ उनके सरंक्षक द्वारा दुर्व्यवहार किया हो या मारने की धमकी दी गई हो या मानसिक रुप से अविकसित/बीमार बच्चे जिनकी देखरेख करने वाला कोई न हो या ऐसे बालक जिनके माता–पिता उस पर नियन्त्रण रखने के लिए असमर्थ है या जिसके माता पिता ने छोड दिया हो तथा देखरेख करने वाला कोई न हो या ऐसे बच्चे जो गुमशुदा हो या घर से भागे हो या ऐसे बच्चे जो किसी प्राकृतिक आपदा से पीडित है व जिन्हे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता हो, को उनकी देख रेख, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुर्नवासित करना।

प्रवेश हेतु प्रकिया किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय बाल कल्याण समितियों के आदेशों पर प्रवेश दिया जाता है।

संपर्क–अधिकारी किशोर जिसे देख रेख और सरंक्षण की आवश्यकता हो को पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस युनिट के अधिकारी, जन–सेवक, चाईल्ड लाईन, पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था या समाज सेवक या स्वयं बच्चा उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित बाल कल्याण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करना होता है जो जांच उपरांत ऐसे बच्चों को बाल गृह, सुन्दरनगर में प्रवेश देने हेतू आदेश पारित कर सकते है।

बाल गृह, सुन्दरनगर के अतिरिक्त विभाग द्वारा संचालित बाल/बालिका आश्रमों को भी किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत बाल गृह घोषित किये हैं तथा इन आश्रमों में भी बच्चे की आयु तथा स्थान उपलब्ध होने पर बाल कल्याण समितियों द्वारा प्रवेश दिया जा सकता है।